

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुमेरपुर जिला-पाली (राज.)  
 पूनाराम S/बगाराम V/ राज. सरकार जरिये  
 जातिगण सुधार नि. तरखतगढ / 5 (भूमिधारी) तहसीलदार सुमेरपुर etc.

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नं. रा.वि. 68/2016 सन  
 धारा 212, 210 R-TA.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/9/16	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पूर्णेश बोहरा ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या ① लगाम ⑩ तक के अन्तर्गत धारा 212, 210 R.T. Act. 1955 में पेश अदालत किया। जो दर्ज रजिस्टर है। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी है। नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र की नकलें भेजी जावे। पत्रावली इनामंदा दिनांक 21/9/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b></p> <p>राजस्व विविध सं. 60/2016 पूनाराम सुधार बनाम: सुमेरपुर जिला-पाली          प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर.टी.एक्ट, 1955</p> <p>दिनांक 21.09.2016          प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित।</p> <p>हमने, पक्षकारों की बहस दलील को सुना, साथ ही इस पत्रावली एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। कथित प्रकरण की वाद-विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा तखतगढ, तहसील, सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 762/1006 रकबा 0.23 हेक्टर किस्म गै.मु.पायतान में से रकबा 14 वर्गगज भूमि, जिस पर प्रार्थी (वादी) ने 50 साल पुराना कब्जा होने के आधार पर प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त के तहत अप्रार्थी, (प्रतिवादी) के विरुद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणा व स्थाई लगातार-</p>	



**उपखण्ड अधिकारी**  
 सुमेरपुर, जिला-पाली

राजस्व विधि सं. 60/2016 पूनाराम सुथार बनाम राजस्थान सरकार वर्ग 1  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर.टी.एक्ट, 1955

निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु मूल वादपत्र प्रस्तुत किया है, इसके साथ ही मूल वादपत्र गुणावगुण के तहत विधिसम्मत निस्तारित नहीं हो जाए, तब तक इस प्रकरण के तहत वादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थीगण या अन्य कोई प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

प्रश्नगत मामले में अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर ने उक्त वादग्रस्त भूमि के बारे में राजस्व रेकॉर्ड एवं मौका रिथिति से संबंधित न्यायालय हाजा को मौखिक रूप से निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि गत व हाल राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी सिवायचक व किरम गै.मु.पायतान दर्ज है, इसके अलावा मौके पर यह भूमि नगरपालिका तखतगढ के आबादी क्षेत्र में स्थित है जो नगरीय क्षेत्र की परिधीय सीमा में आती है तथा इसके अलावा प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी बतौर अवैध व नाजायज रूप से काबिज रहा है, वर्तमान में उक्त प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार से कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त भूमि बाबत किसी प्रकार से खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने के लिए कानूनन हकदार नहीं बनता है तथा ना ही इस प्रकरण के जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का कोई विधिक हकदार बनता है, अतः इसके आधारित प्रार्थीगण का कथित मामला प्रथम दृष्ट्या विधि के अनुरूप चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज फरमावे।

प्रश्नगत मामले में उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड व उल्लेखित तथ्यों पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हम, अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार सुमेरपुर की तथाकथित मौखिक रिपोर्ट से सहमत है तथा इस संदर्भ में हमारी विधिक राय है कि वादग्रस्त भूमि प्रथमतः गत व हाल राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी सिवायचक व किरम गै.मु.पायतान दर्ज है, इसके अलावा मौके पर यह भूमि नगरपालिका तखतगढ के आबादी क्षेत्र में स्थित होने से नगरीय क्षेत्र की परिधीय सीमा में आती है, इसके अलावा प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी बतौर अवैध व नाजायज रूप से काबिज रहा है और वर्तमान में उक्त प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार से कब्जा नहीं है। ऐसी रिथिति में प्रथमतः इस प्रकरण अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के बारे में प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का विधिक हकदार नहीं बनता है।



2  
उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार-

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तारीख नंबर व तारीख
	<p>राजस्व विधि सं. 60/2016 पूनाराम गुप्ता बनाम राजस्थान सरकार वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर.टी.एक्ट, 1955</p> <p>अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा तखतगढ, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 762/1008 रकबा 0.23 हेक्टर किसम गै.मु.पायतान में से रकबा 14 वर्गगज भूमि बाबत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है।</p> <p>यह आदेश बरोज आज दिनांक 21.09.2016 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली के साथ नत्थी की जावे।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> सुमेरपुर, जिला-पाली</p> 	